

015
18

पत्रावली नं : 24/7/15
 पत्रकारिता - वकील अहमद अली 340
 नहीं होने के कारण...
 पत्रावली दिनांक 3/5/18
 अधिकारी
 (गवर्नर)

3/5/18

पत्रावली के मय कोर्ट के देना हुआ। 19 जुलाई
 उमर पक्ष का उपस्थित। वकूलात का
 सुनना। वकूलात उमर पक्ष का 11
 दिनांक 24.7.15 के जारी अफाई
 निवेदन का के लक्षणा पाना (फाई)
 किए जाने अफाई कोर्ट एनाल
 नहीं है कि... का... ली...
 कि... उमर दिनांक 24.7.15 के
 जारी अफाई निवेदन का ना
 फेसला पाना स्पाई (Confirmation)
 कि... उमर है। पत्रावली केवल
 मुमकिन होकर मूल का के साथ (संग)
 रहे सुना।

S. D. S.